



## कार्यालय अनुमण्डल अधिकारी, राँची झारखंड सरकार

प्रपन ।

जाति प्रमाणपत्र (यह जाति प्रमाण पत्र शैक्षिक कार्य के लिए ही लागू है)

पत्रांक संख्या : 748208

पावती क्रमांक : RNC/RNC-Halka III/CST/182966/2014

दिनांक(dd/mm/yyyy) : 17/06/2014

दिनांक(dd/mm/yyyy) : 09/07/2014

जंबल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अध्या कच्छप पुत्र श्री जानन्द कच्छप जो नगर-पालिका रॉबी (हम्का III) जिला रॉबी झारखंड अनुसूचित जनजाति' श्रेणी के अन्तर्गत असंब जाति / उप जाति के सदस्य है, जो झारखंड राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति' के रूप मान्यता प्राप्त हैं।

2. **श्री शब्दा कच्छप** एथं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः नगर-पालिका राँची (हस्का III) डाकघर होरण्डा थाना चुटिवा सब डिवीजन राँची जिला राँची राज्य झारखंड में निवास करते हैं।



डिजिटन रूप से हस्तावारित :LAL SANJEEV KUMAR अनुमण्डल पदाचिकारी

स्थान: राँची दिनांक(dd/mm/yyyy):2014-07-09 09:12:09.433

रांची अनुमण्डल,रांची

- 1. \* बिहार पुर्नमठन अधिनियम 2000 की धारा 23 एवं 24 के अंतर्गत पाँचवी तथा छठ अनुसुची में अंकित क्रमच: संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
- 2. \* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002

यह प्रमाण पर इसेक्ट्रोनिक डिसीवरी सिक्टम द्वारा सेवार किया नवा तथा विकिट्स सिम्मेचर से इस्तवारित किया गया है|इसे सम्बंधित केंद्र के अधिकृत कर्मचारी स्थारा धमाणित किया गया है|

वह प्रमाण पर वेंग्लाइट : http://jharkhand.gov.in/e-clistrict पर सत्यापित किया जा तकता है| वह प्रमाणपत्र सूचना प्रदियोगिकी विमान, झारखंड सरकार के पर्याक JAP-IT/e-District/79-02/2010-11 दिमांच 10-09-2011 के आतोच में निर्मत एवं मान्य है |